अध्याय- 2

शोध का प्रारूप

शोध का प्रारूप

भारतीय समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं तथा असमानताएं प्राचीनकाल से ही व्याप्त रही हैं। इनमें सर्वाधिक निम्न स्तरीय तथा विचार शून्य असमानताएं जाति संस्था पर आधारित रही है। जाति को ऐसे अन्तर्विवाह बन्द समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं जन्म द्वारा सदस्यता तथा अधिकारों और कर्तब्यों का निर्धारण अन्तर्जातीय खान-पान पर प्रतिबन्ध सामाजिक संस्तरण में निश्चित संस्कारिक एवं सामाजिक प्रदत्त पद ऊच-नीच पर आधारित दूसरी जातियों से सामाजिक दूरी एवं रिक्तता का अभाव तथा पद और स्थिति का प्रत्यक्ष रूप धन शक्ति संरचना और शिक्षा द्वारा निर्धारण है।[1]

जाति मूलतः हिन्दू पवित्रता, श्रेष्ठता एवं हीनता की धारणाओं पर आधारित आदर्शात्मक तथा मूल्यात्मक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है। जाति में निहित श्रेष्ठता तथा हीनता की अवधारणाओं द्वारा भारतीय समाज में कुछ पूर्वाग्रह मूल्य तथा व्यवहार प्रतिमान उत्पन्न हुए जिनसे समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक असमानताओं एवं निर्योग्यताओं का जन्म हुआ। और जिनके परिणामस्वरूप समाज के अनेक वर्ग निर्धनों से भी निम्न

स्तर पर जीवन यापन के लिए बाध्य हुए। इसका विकास का रूप अस्पृश्यता की संस्था में विकसित हुआ।

इस व्यवस्था में यद्यपि शोषण का मुख्य आधार धार्मिक एवं सांस्कृतिक रहा, परन्तु चतुर्दोक एवं सर्वागीण, आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक शोषण अपरोक्ष रूप से उसमें नीहित था। निम्न जातियों एवं वर्गों के लोगों को अभिजात संस्कृति से अलग रखा गया जिससे उन वर्गों की एक ऐसी संस्कृति उदित हुई जो पूर्णतः हित भावना से ग्रस्त थी। इन वर्गों को अभिजात जाति वर्गों द्वारा अनेक प्रकार की नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा गया और उत्तम सांस्कृतिक मूल्यों अथवा शैक्षणिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में विभिन्न प्रतिबन्धों द्वारा किया गया। अस्पृश्य जातियां जिन्हें अब अनुसूचित जातियों द्वारा सम्बोधन किया जाता है को पति एवं दरिद्र माना जाता है, और उनका सामाजिक श्रंखला में सबसे निम्न स्थान था। उनके अति निम्त स्तर का आभास इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनके निवास प्रायः शमशान घाटों के निकट अन्य जातियों से पृथक होते हैं। इस प्रकार के अतर्क संगत तथा मिथ्या पूर्ण पूर्वाग्रहों तथा मूल्यों पर आधारित असमानताओं के विरूध समय-समय पर अनेक आन्दोलन हुए। प्राचीनकाल में बुद्ध, मध्यकला में गुरूनानक, कबीर, नामानुज इत्यादि ने विभिन्न निर्योग्यताओं के प्रति आवाज उठाई।

यद्यपि स्वतन्त्रता के पूर्व इन निर्योग्यताओं को समाप्त करने हेतु मद्रास रिमूवल सिविल डिसएबिलिटीज एक्ट, दी बाम्बे हरिजन रिमूवल आफ सिविल डिसएबिलिटीज एक्ट, दी बाम्बे हरिजन रिमूवल, दी रिमूवल आफ सिविल डिसएबिलिटीज एक्ट, मैसूर: दी यूनाइटेड प्राविसेन्ज रिमूवल आफ सिविल रिमूवल आफ सिविल डिसएबिलिटीज एक्ट (बिहार) हरिजन रिमुवअल आफ सिविल डिसएबिलिटीज एक्ट उल्लेखनीय है, परन्तु ये अपनी प्रकृति एवं क्षमता में सीमित थे, और इन्हें किसी भी प्रकार का वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं था।

अस्पृश्यता तथा इससे उत्पन्न होने वाली असमानताओं एवं निर्योग्यताओं पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आघात स्वतंत्रता के पश्चात नये संविधान को लागू होने पर हुआ। भारतीय संविधान में जाति भेद-भाव तथा भिन्नताओं को अवैध ही घोषित नहीं किया किन्तु इनके किसी भी रूप में आने जाने को दण्डी अपराध घोषित किया गया। यही नहीं अस्पृश्य जातियां एवं उसी प्रकार से अन्य पिछड़े वर्ग को संविधान की धारा 341 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित कर संविधान में उनके सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हितों को सुरक्षा एवं विकास हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप इनके विकास पर प्रभाव सम्बन्धी तथ्य को जानने के

लिए विभिन्न विद्वानों अध्ययनों परान्त निकाले गये निष्कर्ष भिन्न-भिन्न कुछ विद्वानों ने यह माना है कि सरकारी सुविधाओं के इन जातियों के लोगों के पर्याप्त लाभ हुए हैं। कुछ के अनुसार उन्हे सुविधाओं से लाभ हुए हैं किन्तु पूर्णरूपेण नहीं और कुछ के अनुसार इन जातियों में वास्तविकता पर निर्धन तथा शोषित वर्ग के लोगों को लाभ न पहुंचकर उनमें केवल सक्षम वर्ग को ही लाभ पहुंचे हैं। परन्तु यह सर्वमान्य है और अनुभव सिद्ध पर भी देखने को मिलता है कि सरकारी सुविधाओं द्वारा इन जातियोंकी सामाजिक-आर्थिक दशाओं तथा राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता में महत्वपूर्ण प्रभाव के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक आँकड़ों में पर्याप्त दूरी ही अनुसूचित जातियों का उत्थान भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समतावादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ही आवश्यक नही अपितु यह देश की राजनैतिक व्यवस्था की स्थिरता निरंतरता के लिए भी अतिआवश्यक है क्योंकि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या एका-एका महत्वपूर्ण अंश है इसलिए इनका कल्याण देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

अध्ययन की समस्या

वर्तमान अध्ययन वाराणसी में निवास करने वाले एक अत्यन्त अस्पृश्य पिछड़ी आर्थिक स्थिति रखने वाली डोम जाति पर आधारित है। इस जाति का परम्परागत पेशा शमसान घाट पर कर वसूलना, शवों को आग देना, बांस की दौरी, सुप इत्यादि बनाना एवं सफाई का कार्य करना है। इस जाति के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के विश्लेषण द्वारा वर्तमान अध्ययन वृहत जाति संरचना में डोम जाति के स्थान और सामाजिक-सांस्कृतिक निरन्तरता और एकमत्यता के अन्वेषण का प्रयत्न किया गया है। वर्तमान अध्ययन में यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि डोम जाति की लघु परम्पराओं और उपसांस्कृति का स्वरूप क्या है? वे किस प्रकार वृहत हिन्दू परम्परा से भिन्न हैं। डोम जाति के पारिवारिक संगठन, जातिगत संगठन, धार्मिक विश्वास, जन्म विवाद, मृत्यु सम्बन्धी संस्कारों के माध्यम से लघु एवं वृहत परम्पराओं की सभ्यता विसंजुयता के अन्वेषण का प्रयत्न करता है। वर्तमान अध्ययन डोम जाति के आर्थिक एवं व्यवसायिक जीवन के अध्ययन द्वारा एक ओर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि डोम परिवार में व्यवसायिक गतिशीलता की प्रकृति क्या है? और दूसरी ओर उनका आर्थिक समस्या का स्वरूप क्या है? उनके आर्थिक कल्याण के

मार्ग में अवरोधक क्या है। अध्ययन का उद्देश्य यह भी ज्ञात करना है कि परिवर्तन की नवीन शाक्ति विशेषकर हरिजन कल्याण के सरकारी प्रयत्न, शिक्षा प्रसार और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता, नगरीकरण, औद्योगीकरण इत्यादि समान्य प्रक्रियायें डोम ज़ाति के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में किस मात्रा में और किस प्रकार का रूपान्तरण कर रही हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य का निर्माण करके अध्ययन के विविध पक्षों को तार्किक परिवेश में महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से सम्बन्धित उद्देश्य निम्न हैं।

1. डोम जाति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाना।
2. इनके परिवारों में व्यवसायिक गतिशीलता एवं इसकी प्रकृति का ज्ञात करना।
3. इनके राजनीतिक स्तर एवं सूचना के स्रोतों को पता लगाना।
4. इनके आवास की दशा एवं पड़ोसियों से सम्बन्धों का पता लगाना।
5. परिवार एवं नातेदारी में सम्बन्धों के प्राथमिकता का पता लगाना।

6. मद्यपान से इनके परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का पता लगाना।
7. धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में हो रहे परिवर्तन का पता लगाना।
8. समाज कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा डोम जाति के सामाजिक-आर्थिक जीवन में हो रहे रूपान्तरण का पता लगाना।

उपकल्पना

यद्यपि प्रस्तुत सम्पूर्ण शोध अध्ययन की प्रकृति गवेषणात्मक तथा विवरणात्मक है, तथापि अध्ययन को निश्चित दिशा देने के लिए निम्न उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया जिसका परिक्षण प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत किया गया।

1. डोम जाति के लोगों की पारिवारिक संरचना एकाकी उन्मुख हो रही हैं तथा उनमें लघु परिवार को बढ़ावा मिल रहा है।
2. डोम जाति के लोगों में शैक्षिक चेतना के परिणामस्वरूप बाल विवाह में कमी आ रही है तथा विलम्ब विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है।
3. डोम जाति के लोगों के मकान का स्वरूप कच्चे मकान से पक्के मकान की ओर उन्मुख हो रहा है तथा मकानों में रौशनदान एवं हवा के आगमन की अच्छी व्यवस्था है।

4. डोम जाति के लोगों के आवासों में आधुनिक सुविधाओं एवं गोपनीयता का अभाव पाया जाता है।
5. आधुनिकीकरण नगरी सम्पर्क तथा शैक्षिक विकास के फलस्वरूप परम्परागत व्यवसाय के फलस्वरूप उनमें घृणा के भाव बढ़ रहे हैं तथा नवीन व्यवसाय के प्रति महत्वाकांक्षा बढ़ रहा है।
6. डोम जाति के लोगों में शैक्षिक सुविधाओं के प्रति सचेष्ट हो रहे हैं तथा भावी पीढ़ी को शिक्षा दिलाने के प्रति महत्वाकांक्षा की वृद्धि हो रही है।
7. डोम जाति के लोगों में नवीन सामाजिक मूल्यों के प्रति लगाव बढ़ रहा है।
8. विभिन्न संचार एवं सम्प्रेषण के साधनों के प्रति उनमें जागरूकता बढ़ रही है तथा राजनैतिक उन्मुखता के प्रति लोगों में चेतना का विकास हो रहा है।

समग्र एवं निदर्शन

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर पर किया गया है। वाराणसी नामकरण के बारे में कई मत प्रचलित हैं। यह पौराणिक मत है कि वरणा और असी नदियों के बीच में बसा होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा, बाद का है। महाभारत में वरणा को 'वाराणसी' कहा गया है, इसलिए

इसके तट पर आबादी बस्ती को 'वाराणसी' नाम मिला। 'वरणा' एक वृक्ष का भी नाम है। जान पड़ता है कि वरणा वृक्षों से घिरी होने के कारण नदी को 'वरणासी' या वराणसी और नगर को 'वाराणसी' कहा गया था। जैसे, कौशंब वृक्ष के आधार पर कौशांबी नगर। पुरातात्विक उत्खनन से भी पुष्टि होती है कि प्राचीन वाराणसी राजघाट के ऊंचे मैदान वर वरणा नदि के दोनों तरफ बसी हुई थी-गंगा तक। मध्युगीन 'बनारस' नाम 'वाराणसी' का ही अपभ्रंश है।

वाराणसी का एक अन्य नाम काशी भी है। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि "वह भू-भाग जो अधिक जल के कारण कुश और काश के जंगलों से भरा रहता था 'काशि' कहा गया। प्राचीन साहित्य में काशि नाम अधिकतर एक जनपद या जनसमूह के रूप में व्यवहृत रहा है, और 'काशी' को नगर-नाम माना गया है। ऐसा ही एक उदाहरण है, अवंति या अवंतिका। अवंति एक देश का नाम था, परन्तु यह उज्जयिनी नगरी का भी नाम था।

शताब्दियों से काशी के ये पांच नाम प्रचलित रहे हैं। वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनंदकानन, श्मशान या महाश्मशान। पुराणों और अन्य ग्रन्थों में इन नामों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। काशी शब्द 'काश्' (चमकना) धातु से बना है। स्कंदपुराण के

अनुसार, यह नगरी निर्वाण के मार्ग को प्रकाशित करती है। कुछ पुराण के अनुसार इसका नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा, क्योंकि शिन ने इसे कभी नहीं त्यागा (अ-विमुक्त)। इस नाम की एक अन्य व्युत्पत्ति भी है: 'अवि=पाप, अर्थात अविमुक्त=पाप से मुक्त करने वाली। यह नगरी शिव को आनंद देती है, इसलिए इसे आनंदकानन या आनंदवन कहा गया। मत्स्य व पद्म पुराणों में काशी में बिना किसी प्रयत्न के केवल मरने मात्र से मोक्ष मिलना निश्चित है।

वाराणसी नगर पूर्वोत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक नगर है जो बिहार, मध्यप्रदेश एवं उत्तर में नेपाल राज्य किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। नगरीकरण की प्रक्रिया का तीव्र प्रवाह है तथा कुछ औद्योगिक केन्द्र जैसे- डीजल रेल का कारखाना एवं अन्य औद्योगिक इकाई अपने माध्यम से विद्युत वस्त्र एवं विभिन्न प्रकार के कल-पूर्जो का निर्माण करती है यह नगर रेल सड़क परिवहन एवं हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। वाराणसी जनपद का लालबहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अब अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। जंहाजे थाईलैण्ड, पश्चिमी एशिया के तेल वाले देश को सीधे उड़ान की व्यवस्था है। यह नगर उत्तरोत्तर बड़े बाजार का भी रूप धारण करता जा रहा है जहां पर पूर्वांचल के विभिन्न नगरों से लोग आकर क्रय-विक्रय करते हैं।

पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस नगर का धार्मिक महत्व है। यहां पर लोग अपने लोक अपेक्षा पर लोक को बनाने आते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उनकी सांस यहीं छुटे। इस नगर में हिन्दू धर्म विविध देवी-देवताओं के मन्दिर है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि के महत्वपूर्ण केन्द्र भी इस नगर में अवस्थित हैं। प्रस्तुत अध्ययन में डोम जाति से सम्बन्धित उत्तरदाताओं का चयन किया गया है इनमें तीन प्रकार के डोम जाति में उपजातियां प्रचलित हैं जिन्हें रहदरिया, बनरसिया तथा घाटिया महत्वपूर्ण हैं इनका चयन इस प्रकार किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत

तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

(क) प्राथमिक स्रोतः-

1. साक्षात्कार-अनुसूची-

शोध प्रबन्ध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। जिसमें हर प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों को एकत्र किया गया, साक्षात्कार अनुसूची का पूर्व परीक्षण भी किया गया है। प्रश्नों का आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों तथा उप श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

2. सहभागी अवलोकन

तथ्यों को अधिक प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदाताओं के साथ कुछ देर रहकर उनके मनोवृत्ति, क्रियाकलाप एवं व्यवहारों का अवलोकन किया गया है।

3. साक्षात्कार

उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी सभी समस्याओं को जानने हेतु उनको ठीक से विश्वास में लिया गया है और तथ्यों के तह तक पहुचने का प्रयास किया गया है, क्योंकि कभी-कभी अनुसूची से बहुत सी सूचना अधूरी रह जाती है। ऐसी पस्थिति में साक्षात्कार महत्वपूर्ण हो जाता है।

4. आवश्यक निर्देश का स्पष्टीकरण

साक्षात्कार लेने से पूर्व उत्तरदाताओं को अच्छी तरह समझा दिया गया था कि प्रश्नों का कोई उत्तर गलत न दें। वे केवल अपनी परिस्थितियों, दृष्टिकोणों एवं अभिवृत्तियों को व्यक्त करें। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास दिला गया था कि यह जानकारी सर्वथा गोपनीय रखी जायेगी और उनके नामों को भी गुप्त रखा जायेगा।

5. वैयक्तिक अध्ययन

यद्यपि समाजिक-आर्थिक दशाओं या परिस्थिति, दृष्टिकोणों एवं मनोवृत्तियों का अनुमान, अवलोकन एवं प्रत्यक्ष

व्यवहारों से लगाया जा सकता है। फिरभी एक सुव्यस्थित अध्ययन के लिए कुछ व्यक्तिगत अध्ययनों को भी शामिल किया गया है जिससे अध्ययन के निष्कर्ष तक पहुंचनें में सुविधा हो सके।

ख. द्वैतीयक स्रोत

इसके अन्तर्गत जनगणना पुस्तिका, विषय से सम्बन्धित पूर्वती अध्ययन, शोध ग्रन्थ, पत्र, पत्रिका, पुस्तकों, लेखों तथा अन्य स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों के प्रस्तुतीकरण में प्रश्नों से सम्बन्धित उत्तरों एवं अवलोकन से प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से उपयोगी प्रणालियों का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों के प्रदर्शन संख्या एवं प्रतिशत में किया गया है तथा तथ्यों के समरूपता के अनुकूल उनका वर्गीकरण किया गया है।

सारिणी संख्या 2.1

उत्तरदाताओं का समग्र एवं निदर्शन

निवास क्षेत्र	रहदरिया		बनरसिया		घाटिया		
सिकरौल वार्ड	समग्र	निदर्श	समग्र	निदर्श	समग्र	निदर्श	योग
1.धोती मलदहिया	13	06	02	–	07	03	09
2.इंगलिशिया लाइनें	40	18	05	–	11	05	23
3.सदर बाजार	12	–	25	09	–	–	09
चेतगंज वार्ड							
1.बेनिया बाग	15	–	20	11	10	06	17
2.हबीबपुरा	32	22	14	08	–	–	30
3.सेनपुरा	20	12	09	07	–	–	19
जैतपुरा वार्ड							
1.नक्खी घाट	40	31	6	05	10	06	42
2.डिगिया	18	14	16	11	01	–	25
चौक वार्ड							
1.मर्णकणिका घाट	–	–	–	–	35	21	21
भेलुपुरा वार्ड							
1.बलुआ	10	–	20	14	–	–	14
2.दुर्गाकुण्ड	16	11	45	35	06	02	48
3कोलुहॉ	05	–	46	20	–	–	20
4.हरिशचन्द्र घाट	–	–	–	–	20	12	12
आदमपुर वार्ड	12	06	10	–	14	05	11
योग	120		120		60		300

120 रहदरिया

120 बनरसिया

060 घाटिया

कुल:-300

[1] Agrawa, P.C. Caste, Religion and Power, Sriram Centre for Industrial Relation, New Delhi, 1971.

अध्यायीकरण–

अध्याय : 1	परिचयात्मक परिप्रेक्ष्य
अध्याय : 2	शोध का प्रारूप
अध्याय : 3	उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि
अध्याय : 4	सूचना स्रोत एवं राजनीतिक स्तर
अध्याय : 5	आवासीय दशा एवं व्यवसायिक जीवन
अध्याय : 6	सामाजिक अन्तःक्रिया एवं जातिगत स्थिति
अध्याय : 7	धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य एवं बदलते प्रतिमान
अध्याय : 8	कुछ महत्वपूर्ण वैयक्तिक अध्ययन
अध्याय : 9	उपसंहार एवं निष्कर्ष